

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.11(7)नविवि / 21

जयपुर, दिनांक 14 SEP 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार सहायक नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर, को खाटूश्यामजी (जिला-सीकर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2035 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैं:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	
	अंग्रेजी	हिन्दी
1.	KHATUSHYAMJI	खाटूश्यामजी
2.	HANUMANPURA	हनुमानपुरा
3.	SITARAMPURA	सीतारामपुरा
4.	SYAMI KI DHANI	श्यामी की ढाणी
5.	JHAMAWAS	झामावास
6.	CHOMU PUROHITAN	चौमू पुरोहितान

राज्यपाल की आज्ञा से

→

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. जिला कलक्टर, सीकर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. अति. मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), नगर नियोजक, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन जयपुर।
7. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, खाटूश्यामजी, सीकर।
8. जिला नगर नियोजक, सीकर।
9. सहायक नगर नियोजक (जिला-सीकर), जयपुर जोन, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 14.9.2021 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

13.9.2021
 संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय